"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022—चैत्र 04, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जनवरी 2022

क्रमांक ई 1-10/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान Pay Matrix Level-15 में दिनांक 01-01-2022 से पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997)	आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली.	आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्रीमती निहारिका, बारिक भा.प्र.से. (1997)	सचिव, मंत्रालय	प्रमुख सचिव, मंत्रालय

2. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को उनसे कनिष्ठ अधिकारी डॉ. एम. गीता, भा.प्र.से. (1997) के प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति के दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान Pay Matrix Level-15 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है.

3. डॉ. एम. गीता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 11030/4/2017-AIS-II, दिनांक 02-12-2021 द्वारा प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य में "इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र" में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण निम्नानुसार करता है :—

मेगा निवेशकों के लिए Be Spoke Policy के अन्तर्गत "इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र" के लिए आर्थिक निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) इस पैकेज का लाभ मेसर्स गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त होगा चूंकि इनके एमओयू का निष्पादन दिनांक 29-12-2020 को किया जा चुका है. इकाई का प्रस्तावित पूंजी निवेश रु. 41.00 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 418 है. इकाई नवा रायपुर के इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में स्थापित होगा. इकाई की उत्पादन क्षमता 18000 नग इलेक्ट्रीक व्हीकल यथा-ई-रिक्शा, ई-आटो, ई-स्कूटर तथा 2,00,000 नग लिथियम आयरन बैटरी होगी.

(2) इस पैकेज में प्रस्तावित इकाई के लिए घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता के लिए आवश्यक होगा कि उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप "मेगा प्रोजेक्ट" के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करती हो, अर्थात नीति के परिशिष्ट-एक के बिन्दु क्रमांक-11 के अनुसार रुपये 10 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करें.

(3) जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(4) **अधिकतम आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की सीमा :—**

(4.1) इस पैकेज हेतु नीति में प्रावधानित परिभाषाओं के अनुसार "ब" श्रेणी विकासखंड में प्रस्तावित परियोजना के आधार पर समग्र रूप से मान्य स्थाई पूंजी निवेश पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 10 वर्षों के लिए दिया जावेगा.

(4.2) इस पैकेज के अंतर्गत इकाई को निम्नलिखित अनुसार योजनाओं में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाये :—

(अ) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में अधिकतम 10 वर्ष तक के लिये अथवा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत के बराबर सुविधा प्रदान किया जावे.

(ब) विद्युत शुल्क छूट 8 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक प्रदान की जावे.

(4.3) प्रस्तावित उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान की गणना हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :—

1. नेट एसजीएसटी
2. विद्युत शुल्क से छूट

(5) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य में "जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट" में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण निम्नानुसार करता है :—

मेगा निवेशकों के लिए Be Spoke Policy के अन्तर्गत "जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट" के लिए आर्थिक निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) इस पैकेज का लाभ दो इकाईयों यथा-मेसर्स ब्लूव्यू कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स जयश्री कृष्णा एग्रीफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड को मिल सकेगा जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुकी (परिशिष्ट-"अ" में सूचीबद्ध) हैं.

(2) जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक निवेश प्रोत्साहन (प्रतिपूर्ति, अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(3) इस नीति के प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व प्रारंभ करें.

(4) इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन पात्रता के लिए आवश्यक होगा कि उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप "मेगा प्रोजेक्ट" के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करती हो, अर्थात् नीति के परिशिष्ट-एक के बिन्दु क्रमांक-11 के अनुसार रुपये 100 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करें.

(5) प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से पात्रतानुसार कुल राशि की छूट निम्नलिखित मदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

(क) नेट एसजीएसटी में 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तक प्रदान की जावे (टीप-यदि इकाई की एसजीएसटी आय में वृद्धि होती है तो इस मद में प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ने पर आधिक्य की राशि का समायोजन इकाई को देय ब्याज अनुदान एवं स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के मदों में किया जायेगा.)

(ख) विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट 8 वर्षों के स्थान पर 10 वर्षों के लिए की पात्रता होगी.

(ग) विद्युत दर में 3.00 रु. प्रति यूनिट छूट 10 वर्षों तक छूट प्रदान करने के संबंध में को देने हेतु विद्युत नियामक आयोग के समक्ष ऊर्जा विभाग के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जाकर नियामक आयोग द्वारा सहमति की स्थिति में यह सुविधा की पात्रता होगी.

(घ) इकाई को ब्याज अनुदान एवं स्थाई लागत पूंजी अनुदान समग्र रूप से रुपये 3.22 करोड़ अधिकतम सीमा तक पात्रता/ नियमानुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(6) इस पैकेज में सम्मिलित इकाईयों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम पैकेज रुपये 120 करोड़ 10 वर्षों में (अधिकतम रुपये 12 करोड़ प्रतिवर्ष) की पात्रता होगी.

(7) इस पैकेज में सम्मिलित इकाईयों से मार्कफेड द्वारा, इकाईयों द्वारा निर्मित बारदाने जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित दर पर 10 वर्षों तक के लिए क्रय किये जाने की शर्त की पात्रता होगी.

(8) इस पैकेज में सम्मिलित परिशिष्ट-ए में वर्णित दावों इकाईयों को औद्योगिक नीति में निर्धारित अन्य सभी आर्थिक निवेश प्रोत्साहन यथा-परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेंटेन्ट अनुदान, दिव्यांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान आदि की अतिरिक्त सुविधा मान्य अधिकतम पैकेज की अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहते हुये पात्रता/नियमानुसार पात्रता होगी.

(9) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-"अ"

बी-स्पोक पालिसी के अंतर्गत एमओयू निष्पादित इकाइयों की सूची

क्रमांक	इकाई का नाम	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रुपये करोड़)	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित उत्पाद एवं क्षमता	एमओयू का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मेसर्स ब्लूव्यू कॉमर्शियल प्राईवेट, लिमिटेड.	110.00	3000 -5000	जिला- महासमुन्द	Jute Mill B. Twill Sacking Bags Spining/Weaving/ Cutting/Stiching - 33,000 गठान बारदाने	25-01-2022
2.	मेसर्स जयश्री कृष्णा एग्रीफ्रेश प्राईवेट, लिमिटेड	118.47	2425	जिला-रायपुर	Jute Mill B. Twill Sacking Bags Spining/Weaving/ Cutting/Stiching - 57,000 Bales Per Year.	25-01-2022
	योग	**228.47**	**7425**			

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 फरवरी 2022

क्रमांक 243/2324/2021/16.—प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश 2016 के प्रावधान अनुसार "स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी (SLMC)" समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

01.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़	—	अध्यक्ष
02.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन गृह विभाग	—	सदस्य
03.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास,	—	सदस्य
04.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग,	—	सदस्य
05.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग.	—	सदस्य
06.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	—	सदस्य
07.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.	—	सदस्य
08.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन समाज कल्याण विभाग,	—	सदस्य
09.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन जनशक्ति नियोजन विभाग,	—	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग.	—	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन श्रम विभाग,	—	सदस्य
12.	श्रमायुक्त, छ.ग. शासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर	—	सदस्य सचिव
13.	सिविल सोसायटीज/अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि— 01. श्री छत्रसाल साहू, टुण्डरी विकासखण्ड बिलाईगढ़ 02. श्रीमती शारदादेवी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 10-08/2018/16 (पार्ट).—छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना एवं महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला हितग्राहियों को रु. 10,000/- मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाता था. दिनांक 01 जनवरी, 2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की घोषणा के परिपालन में मंडल द्वारा संचालित उक्त तीनों योजनाओं में आंशिक संशोधन करते हुये महिला हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर ऑनलाईन आवेदन करने पर एकमुश्त सहायता राशि रु. 20,000/- मंडल द्वारा देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1470/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	भेजीनारा	2.215 हे.	खोलारनाला स्टाप डेम क्र.-2

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-02-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन अरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	खोलारनाला स्टापडेम क्र.-2
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 499.98 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	निस्तारी एवं कृषकों के स्वयं के साधन से 25 हे. में सिंचाई सुविधा हो सकेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1489/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	सुक्लाखार	4.955 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-02-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सुक्लाखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2021

प्ररूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1990/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दंतेवाड़ा	गीदम	गुमड़ा	0.937 हे.	आवराभाटा टेकनार चौक से होते हुए टेकनार गुमड़ा हाउरनार मार्ग का निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-12-2021 को समय 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत गुमड़ा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	आवराभाटा टेकनार चौक से होते हुए टेकनार गुमड़ा हाउरनार मार्ग का निर्माण.
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
सात	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
आठ	परियोजना की कुल लागत	—	1720 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	—	सार्वजनिक आवागमन
दस	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	586840.00 पांच लाख छियासी हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1929/37/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली	2.195	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1939/42/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तारीख 06-07-2020 को किया गया था. जिसके पूर्व प्रथम सामाजिक समाघात दिनांक 15-07-2019 को कार्यवाही हुआ था. जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा सर्वसम्मति से सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन के लिये प्रस्ताव पारित हो चुका है. क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू-अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 06-07-2021 तक प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11) नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

ग्राम-मोंगरा, प.ह.नं.-43, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	मोंगरा प.ह.नं. 43	4.583	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1940/42/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	मोंगरा प.ह.नं. 43	4.583	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 14 के अंतर्गत)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1945/37/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तारीख 03-11-2020 को किया गया था. जिसके पूर्व ग्राम सभा दिनांक 04-10-2019 एवं प्रथम सामाजिक समाघात दिनांक 12-02-2020 को कार्यवाही हुआ था. जिसमें ग्राम वासियों के द्वारा सर्वसम्मति से सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य के लिये भू-अर्जन के लिये प्रस्ताव पारित हो चुका है. क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू-अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 03-11-2021 तक प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11) नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

ग्राम-सिंघाली, प.ह.नं.-8, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा छ.ग.

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सिंघाली प.ह.नं. 08	2.195	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 8 मार्च 2022

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2020-21/1134.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रारोड	गांगपुर प.ह.नं. 08	1.857	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	गांगपुर एनीकट योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 10 मार्च 2022

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2020-21/1188.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रारोड	दर्री प.ह.नं. 05	3.565	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	दर्री व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 15 फरवरी 2022

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बास्तानार	बडे किलेपाल प.ह.नं. 07	0.52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	गंजोपारा से गुडियापारा मार्ग के कि.मी. 2/4 डुमा नाला पर उच्च-स्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 8 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्र. क्रमांक 63 क/कले./भू-अर्जन/19/अ-82/वर्ष 2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-आकाशखार, प.ह.नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/3	0.08
45/1	0.14
221	0.06
274	0.01

(1)	(2)
46	0.05
222	0.06
47	0.05
149	0.02
44	0.07
48/1	0.01
58	0.01
43	0.23
94	0.01
129	0.03
153	0.04
156	0.02
157	0.04
154	0.06
150	0.01
148/1	0.20
151	0.03
226	0.07
225/1	0.20
203	0.09
219	0.15
223	0.10
197	0.04
273	0.07
196	0.03
200	0.06
199	0.05
220	0.11
218/2	0.07
54	0.05
55	0.03
56	0.06
57	0.11
123	0.07
124	0.03
128/1	0.07
130	0.03
128/2	0.04
111/2	0.05
115/3	0.04
115/5	0.01
96/1	0.02
104/3	0.04
111/3	0.04
105	0.07
104/11	0.01
95	0.03
96/2	0.02
योग 52	3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–बोईरमाल व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 8 फरवरी 2022

भू–अर्जन प्र. क्रमांक 64 क/कले./भू–अर्जन/17/अ–82/वर्ष 2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–महासमुन्द
- (ख) तहसील–सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम–चण्डीभौना, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
342	0.16
341	0.03
345/1	0.01
340	0.07
751	0.04

	(1)	(2)
	339	0.04
	332	0.03
	333	0.03
	336	0.04
	330/5	0.05
	328	0.06
	329	0.06
	323	0.05
	327	0.08
	326	0.08
	727	0.04
	752	0.03
	755	0.11
	325	0.09
	322	0.06
	311	0.01
	312	0.07
	731	0.02
	743	0.02
	314	0.02
	706	0.02
	759	0.07
	758	0.13
	757	0.02
	756	0.03
	754/2	0.02
	750	0.01
	746	0.06
	730	0.03
	732	0.01
	744/2	0.04
	335	0.05
योग	37	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–अमरकोट व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 11 फरवरी 2022

क्रमांक/639/वा./भू.अ./प्र.क्र./17/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील–नरहरपुर
(ग) नगर/ग्राम–डोडरापहर
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.79 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	100/1	0.01
	88/3	0.01
	58	0.08
	81	0.02
	66	0.30
	70/2	0.15
	72/2	0.11
	73/3	0.04
	72/1	0.07
योग	09	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–डुडुमबहारा–खदरवाही–डोडरापहर मार्ग के कि.मी. 2/2 झुरा नाला पर सेतु निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू–अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 फरवरी 2022

प्र. क्रमांक/1411/भू-अर्जन/14/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मानपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सहपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.465 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	4/2	0.465
योग	01	0.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बसेली-सहपाल मार्ग पर स्थित भूरके नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़ दिनांक 4 मार्च 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घोठला छोटे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.233 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/3	0.036
65/2	0.057
65/4/ख	0.109
65/6	0.153
168/2	0.182
167/3	0.032
168/3	0.046
117/2	0.042
117/4	0.049
166/4	0.158
109/7/क	0.138
46/6	0.010
154/3	0.065
117/7	0.040
109/4/क	0.053
38/6	0.061
46/2	0.011
115/1	0.008
47/3	0.040

(1)	(2)
52/3	0.039
47/2	0.081
167/1	0.093
150/11	0.008
38/4	0.040
44/5	0.059
109/3	0.040
53/6	0.065
117/6	0.024
38/5	0.073
108/4	0.040
150/10	0.024
109/5/क	0.049
109/8	0.105
150/1	0.093
55/7	0.263
46/4	0.010
155/6	0.073
150/2	0.060
44/4/ख	0.071
46/1	0.014
51/1	0.809
46/5	0.010
167/4	0.034
154/9	0.230
44/2	0.097
110/1	0.045
154/11	0.045
53/5	0.023
159	0.061
151/1	0.166
150/3	0.099
योग 51	4.233

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जनवरी 2022

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—** इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराना है. योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि का उपयोग हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने आदि में तथा पुत्री के विवाह हेतु किया जा सकेगा.

(ग) **योजना का प्रावधान :—** योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के पुत्री के खाते में एकमुश्त किया जावेगा.

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—** इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी.

(च) **योजना की पात्रता :—**

1. लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों.

2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिए आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मंडल में पंजीकृत ना हो.

3. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे.

4. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो.

5. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो.

6. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो.

7. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् रहा हो.

8. प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा.

9. जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना/ राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे.

(छ) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा.

2. आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि - आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 18 वर्ष 06 माह पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी.

4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—

   4.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति.

   4.2 हितग्राही की पुत्री के आधार कार्ड की प्रति.

   4.3 हितग्राही की पुत्री के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हितग्राही की पुत्री का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति.

   4.4 हितग्राही की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के संबंध में (जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंकसूची) की प्रमाण पत्र की प्रति.

   4.5 हितग्राही की पुत्री के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति.

4.6 नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति.

विशेष — सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

5. सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ सत्यापन की रिपोर्ट/प्रतिवेदन की मूल प्रति ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा.

(ज) **स्वीकृति का अधिकार :—** संबंधित जिले के श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापन उपरांत सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जावेगा.

(झ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही की पुत्री के खाते में स्थानांतरित की जावेगी.

(ट) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(ठ) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

राजेश कुमार पात्रे,
सचिव.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5260.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/6296 रायपुर दिनांक 13-01-2014 द्वारा श्री एस. एस. चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) को कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा जिला कोरबा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/स्टेनो/मंडी/भा.सा.अधि./2021-22/7844 कोरबा दिनांक 12-11-2021 द्वारा श्री अनिल कुमार शुक्ला, प्रभारी उप संचालक कृषि/सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि कोरबा को कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, श्री एस.एस.चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) के स्थान पर श्री अनिल कुमार शुक्ला, प्रभारी उप संचालक कृषि/सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि कोरबा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा जिला कोरबा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

चंदन संजय त्रिपाठी,
संचालक.

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

प्रारूप–चार
(नियम 10 देखिये)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक 2211/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.–भटगवां/2021.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भटगवां निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति,—

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगवां जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध है. (संबंधित संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर तथा ग्राम निवेश एवं स्थानीय निकाय के कार्यालयों के नाम का उल्लेख करें, जहां पर प्रतियां उपलब्ध कराई गई है.)

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संचालक द्वारा विचार किया जायेगा.

FORM-IV
(See rule 10)

Notice inviting objections to existing land use map

No. 2211/T&CP/Ambikapur/DP-Bhatgaon/2021.—Notice is hereby given that the existing land use map for Bhatgaon Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection during office hours in the offices of,—

1. Divisional Commissioner, Surguja (C.G.)
2. District Collector, Surajpur (C.G.)
3. Town and Country Planning, Regional Office Ambikapur District Surguja (C.G.)
4. Nagar Panchayat Bhatgaon, District Surajpur (C.G.)

(Mention names of the offices of Divisional Commissioner, District Collector, Town and Country Planning and Local Urban Bodies concerned where such copies have been made available).

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it shall be submitted in writing to the concerned District office of Town and Country Planning within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette for due consideration, will be considered by the Director.

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1881.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री अनिल बघेल, जिला-बिलासपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018, दिनांक 02 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(के. सी. देवसेनापति)
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 2 जुलाई, 2021—11 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018.—यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है.

और यत:, 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिल बघेल, जो छत्तीसगढ़ के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए 28-तखतपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिल बघेल को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस श्री श्यामलाल मरकाम द्वारा 25 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था/2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 के पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिल बघेल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल बघेल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 28-तखतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले आम आदमी पार्टी अभ्यर्थी श्री अनिल बघेल बी-90 रामालाईफ मुंगेली रोड सकरी वार्ड नंबर-16, छत्तीसगढ़ इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 2nd July, 2021—11 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/28/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 28-Takhatpur Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAElc./EEM/2019/85, Dated 29th January, 2019. Sh. Anil Baghel, Aam Aadmi Party contesting candidate from 28-Takhatpur Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 9th October, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Anil Baghel for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 9th October, 2019, Sh. Anil Baghel, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Anil Baghel. on 25th October, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. K/Elc.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. K/Ele.Obs/LAEle-18/Exp./2019/4302 dated 26th November, 2019 has stated that Sh. Anil Baghel, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Anil Baghel, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order",

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Anil Baghel, resident of B-90 Rama Life, Mugeli Road, Sakri, Ward No.-15, Chhattisgarh and the contesting Aam Aadmi Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 28-Takhatpur Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-
(NARENDRA NATH BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2022

शुद्धिपत्र

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/653.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री अनिल बघेल, को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 02 जुलाई, 2021 के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स/पूर्व अनु.-1/28/2018 के हिन्दी रूपान्तरण में, "जिला निर्वाचन अधिकारी" बलरामपुर रामानुजगंज, के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर", पैरा 5 में "9 अगस्त, 2019 के स्थान पर 9 अक्टूबर, 2019", पैरा 7 में "श्री श्यामलाल मरकाम" के स्थान पर "श्री अनिल बघेल", पैरा 7 एवं 8 में "पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020" के स्थान पर "पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि.-18/व्यय लेखा/2019/4302", पढ़े जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के शुद्धिपत्र संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018, दिनांक 15 फरवरी, 2022 का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(भुवनेश यादव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 15 फरवरी, 2022—26 माघ, 1943 (शक)

शुद्धिपत्र

सं. छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018.—भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 2 जुलाई, 2021 के आदेश संख्या छ.ग./वि.स./पूर्व अनु.-1/28/2018 के हिन्दी रूपान्तरण में, "जिला निर्वाचन अधिकारी" बलरामपुर रामानुजगंज, के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर", पैरा 5 में, "9 अगस्त, 2019" के स्थान पर "9 अक्टूबर, 2019", पैरा 7 में "श्री श्यामलाल मरकाम" के स्थान पर "श्री अनिल बघेल", पैरा 7 एवं 8 में "पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020" के स्थान पर "पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि-18/व्यय लेखा/2019/4302", पढ़ा जायेगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated15th February, 2022—26 Magha, 1943 (Saka)

CORRIGENDUM

No. CG-LA/ES-1/28/2018.—In Hindi version of the Election Commission of India's Order No. CG-LA/ES-1/28/2018 dated 2nd July, 2021, the entries "जिला निर्वाचन अधिकारी, बलरामपुर रामानुजगंज" shall be read as "जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर" Further in para 5 the entries "9 अगस्त, 2019", shall be read as "9 अक्टूबर, 2019", and in para 7 the entry "श्री श्यामलाल मरकाम" shall be read as "श्री अनिल बघेल", Apart from this, in para 7 and 8, the entry "पत्र सं. 838/निर्वा.स्था./2020" shall be read as "पत्र सं. नि.पर्य./वि.स.नि-18/व्यय लेखा/2019/4302",

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Sr. Principal Secretary.

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़
कृषि विकास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2021

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2021-22/127.—मैं यशवन्त कुमार, गन्ना आयुक्त, छ.ग. रायपुर, भोरमदेव, सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कलेक्टर कबीरधाम द्वारा प्रस्तावित गन्ना क्षेत्र को, निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र	जिला	वि.ख.	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कारखाना द्वार	कबीरधाम	कवर्धा	145	5386.235
			बोड़ला	83	4491.437
			सहसपुर लोहारा	12	57.773
			योग	**240**	**9935.445**

यशवन्त कुमार,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2021–22 हेतु भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण

कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्र 2021–22					
स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	शेयरधारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नान शेयरधारी गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योग हेक्टेयर में
1	कवर्धा	145	4366.020	1020.214	5386.235
2	बोड़ला	83	4063.761	427.676	4491.437
3	स.लोहरा	12	35.486	22.287	57.773
कुल योग		**240**	**8465.267**	**1470.177**	**9935.445**

पेराई सत्र 2021–22 हेतु भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.कवर्धा के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध अंशधारी/गैर अंशधारी कृषको के गन्ना क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड – कवर्धा

क्र.	ग्राम का नाम	अंशधारी गन्ना क्षेत्रफल (हेक.में)	गैर अंशधारी गन्ना क्षेत्रफल (हेक.में)	योग (हेक.में)
1	KHADAUDAKHURD	118.77	32.470	151.243
2	KHAMHI	60.28	8.219	68.502
3	KHAIRIPAR	38.77	6.073	44.842
4	BODHAIKUNDA	73.54	14.830	88.368
5	MADANPUR	51.11	4.858	55.972
6	PARASWARA	33.51	12.239	45.749
7	NAVGHATA	58.74	9.008	67.745
8	GANGPUR	67.26	5.263	72.518
9	BIJAI	20.62	3.239	23.858
10	SONBARSA	22.14	4.130	26.267
11	DHARAMPURA	49.17	6.972	56.142
12	BIRKONA	61.43	15.498	76.927
13	KHAPARI	15.30	5.789	21.093
14	INDORI	16.17	5.324	21.490
15	MANIKCHORI	5.71	5.757	11.466
16	LALPUR	99.63	14.672	114.304
17	LAKHANPUR	235.94	15.158	251.097
18	SURAJPURA	61.47	11.065	72.538
19	RAMHEPURKHURD	87.83	16.822	104.652
20	SINGHANPURI	37.69	5.121	42.810
21	KANABHAIRA	113.22	10.332	123.551
22	DUBAHA	6.77	3.239	10.004
23	CHARDONGARI	73.63	10.255	83.887
24	MADMADA	2.26	2.024	4.279
25	MARKA	21.26	7.692	28.955
26	PIPARIYA	23.12	3.777	26.895
27	RENGAKHARKHURD	8.33	2.834	11.166
28	SUKHATAL	187.98	30.364	218.344
29	NAUDIH	116.11	10.121	126.235
30	GHUKSA	36.32	4.810	41.130
31	BARBASPUR	62.60	10.660	73.263
32	DULLAPUR RANI	10.73	3.789	14.518
33	PALIGUDA	55.98	5.356	61.332

34	AMLIDEEH-KODAR	0.51	1.822	2.328
35	GHOREVARA	18.32	7.794	26.113
36	DHAURABANDHA	5.45	4.502	9.951
37	BITKULI	3.85	4.960	8.814
38	CHORBHATTI	4.19	1.336	5.526
39	GHUGHARIKALA	10.29	2.834	13.121
40	GADAHABHATA	63.94	11.437	75.372
41	JORATAL	12.06	3.704	15.761
42	THUHADEEH	4.24	6.073	10.316
43	BARPELATOLA	16.62	3.036	19.652
44	DULLAPUR RAVELI	23.79	9.012	32.798
45	RAVELI	122.71	15.789	138.502
46	TALPUR	3.45	1.012	4.457
47	JAMUNIYA	39.73	5.385	45.113
48	CHHATAJHA	3.13	1.822	4.951
49	BARDULI	35.49	7.692	43.178
50	GEGADA	13.88	6.700	20.583
51	KOKO	34.51	3.846	38.356
52	JHIRONI	13.96	3.381	17.344
53	BHANPUR	1.28	2.587	3.866
54	SARANGPUR-KHURD	43.34	1.012	44.348
55	LIMO	3.20	6.296	9.498
56	BHIMPURI	2.15	1.802	3.955
57	CHHANTA	63.98	4.858	68.838
58	BARDI	81.57	10.668	92.243
59	MANPUR	5.64	3.745	9.385
60	GORAKHPUR	12.92	3.036	15.960
61	SEMO	30.74	12.955	43.692
62	GHOTIYA	0.94	4.992	5.931
63	BHELWABHAWAR	25.40	12.551	37.955
64	KOSMANDA	4.43	3.036	7.470
65	ANCHHI	47.70	10.680	58.377
66	BANJHIMAUHA	23.79	8.907	32.696
67	BAIJI	1.57	3.777	5.344
68	JHIRNA	11.44	2.834	14.271
69	BIPTARA	5.20	1.842	7.045
70	BAHARMUDA	0.40	2.291	2.696
71	BAGHUTOLA	0.49	2.429	2.919
72	BAIJALPUR	51.23	13.595	64.830
73	BAMHANI	0.78	2.611	3.393
74	BATURAKACHHAR	73.02	17.409	90.429

75	BIJAJHORI	30.47	5.830	36.300
76	BITKULIKHURD	1.89	2.429	4.316
77	CHACHEDI	13.32	4.555	17.879
78	CHARBHATHA	18.78	7.470	26.247
79	DABARABHATH	32.62	3.036	35.660
80	DALPURWAKWD	51.76	7.915	59.672
81	DARGAWA	27.96	6.579	34.534
82	DASHARANGPUR	46.43	10.121	56.547
83	DAUJARI	128.02	7.506	135.522
84	DAUKABHANDHA	32.40	11.510	43.911
85	DEWARI	3.11	3.644	6.757
86	DHAMAKI	13.01	9.927	22.935
87	DHANORA	1.86	3.462	5.320
88	GANGCHUWA	12.28	7.457	19.741
89	GHIRGHOSA	27.25	6.012	33.263
90	GOPALBHAWANA	17.15	5.769	22.919
91	JAITPURI	7.11	2.575	9.688
92	JARTI	153.05	30.364	183.417
93	JHALKA	1.77	5.397	7.162
94	JHALMALA	44.91	9.927	54.834
95	JINDA	2.19	6.822	9.016
96	JOGIPUR	18.49	7.032	25.522
97	JUNWANI	3.40	9.008	12.409
98	KESALI	9.01	6.644	15.652
99	KHAIRJHITIKALA	20.01	7.287	27.296
100	KHAIRWAR	19.85	7.915	27.761
101	KHUTU	0.40	3.457	3.862
102	KODAR	0.61	2.429	3.036
103	KRITBANDHA	1.58	3.239	4.818
104	KOTHAR	64.57	5.397	69.964
105	KUTELI	0.55	3.462	4.008
106	KUTKIPARA	3.58	12.599	16.178
107	LAGHAN	22.20	3.061	25.263
108	LOCHAN	0.81	5.081	5.891
109	MAGARDAH	4.70	4.453	9.154
110	MAINPURI	0.22	2.227	2.445
111	MAJGAON	0.98	6.073	7.049
112	MAKKE	29.43	8.721	38.146
113	MATHANIKALA	4.13	10.215	14.340
114	MATHANIKHURD	0.65	7.692	8.340
115	MOHGAON	75.50	16.053	91.551

116	BHEDLI	12.89	9.818	22.713
117	NAWAGAON FARID	3.48	3.053	6.530
118	NAWAGAON KOLIHA	11.00	4.453	15.457
119	NAWAGAON TIWARI	5.14	10.704	15.846
120	NEWARIGUDA 1	49.39	7.457	56.846
121	PANDARIYA Kwd Block	26.60	7.101	33.700
122	PATHARRA	42.52	10.741	53.263
123	SAIGONA	0.78	2.632	3.413
124	SAMANAPUR	0.40	3.433	3.838
125	SINGHANPURI (GANGCHUW)	0.58	5.474	6.057
126	SINGHANPURI (JARTI)	13.23	4.676	17.911
127	SINGHANPURI (RAMHEPUR)	60.83	9.927	70.761
128	SINGHANPURI (SEMO)	24.65	11.976	36.628
129	SOHAGPUR	1.21	8.676	9.891
130	SONPURI (RANI)	9.87	5.870	15.741
131	THAKURAINTOLA	2.79	6.300	9.089
132	DEHARI	54.39	11.150	65.543
133	KODWA	25.70	5.668	31.368
134	KAWARDHA	6.68	5.356	12.040
135	NEWARI	24.58	5.405	29.988
136	JEWDANKHURD	85.89	9.109	95.000
137	BANO	35.62	4.858	40.478
138	CHHIRHA	1.13	2.684	3.810
139	GHUGHRI KHURD	3.44	4.555	7.996
140	THUNUPAR	0.64	2.834	3.474
141	KHAIRJHITIKHURD	7.07	4.972	12.045
142	DULLAPUR PIPARIYA	19.40	5.445	24.842
143	FANDATOD	8.65	4.453	13.101
144	AMLIDEEH-MARKA	12.79	3.826	16.619
145	BANO (KUWA)	11.96	3.441	15.401
	Block Total	**4366.020**	**1020.214**	**5386.235**

विकासखण्ड – बोड़ला				
146	SARANGPUR-KALA	212.895	16.397	229.291
147	LOHJHARI	83.789	8.097	91.887
148	GANDAI-KHURD	142.704	7.470	150.174
149	KARESHARA	115.154	5.081	120.235
150	GANDAI-KALA	122.858	18.219	141.077
151	KUSUMGHATA	318.781	14.575	333.356

152	KHADAUDAKALA	130.470	6.283	136.753
153	KHARHATTA	105.955	15.506	121.462
154	BHARELI	162.206	10.526	172.733
155	RAHANGI	44.053	5.081	49.134
156	LENJAKHAR	107.486	11.336	118.822
157	MANDLATOLA	46.794	10.729	57.522
158	PONDI	46.121	16.822	62.943
159	TAREGAONMAIDAN	58.316	3.883	62.198
160	NEURGAONKALA	50.085	3.583	53.668
161	NEURGAONKHURD	155.036	14.696	169.733
162	TILAIBHANTA	24.567	4.858	29.425
163	KHANDSARA	74.636	10.672	85.308
164	MADMADA	59.279	14.271	73.551
165	BAIHARSARI	211.607	24.510	236.117
166	GHONGA	3.190	2.834	6.024
167	BOIRKACHARA	88.802	5.174	93.976
168	RAMHEPUR	73.255	14.170	87.425
169	USLAPUR	93.887	5.121	99.008
170	BUDHWARA	7.526	2.024	9.551
171	HARINCHHAPARA	113.053	7.065	120.117
172	SILHATI	126.121	6.579	132.700
173	PARSAHA	29.951	3.036	32.988
174	KHURSIPAR	35.838	3.441	39.279
175	SUKUAPARA	10.579	1.822	12.401
176	MARIYATOLA	142.680	7.287	149.968
177	MANIKPUR	152.008	16.053	168.061
178	PRABHATOLA	58.215	4.656	62.870
179	KHANTIPARA	15.591	5.061	20.652
180	BHALPAHARI	20.789	1.619	22.409
181	ACHANAKPUR	18.611	2.429	21.040
182	KHARIYA	2.271	1.478	3.749
183	KHURMUNDA	21.130	2.227	23.356
184	MINMINIYA	30.121	5.466	35.587
185	SIRMI	22.316	2.429	24.745
186	RIWAPAR	30.729	3.563	34.291
187	BHANDAR	0.575	1.862	2.437
188	RAGUPARA	12.069	3.644	15.713
189	CHANDALPUR	30.547	2.692	33.239
190	MUDIYAPARA	2.089	2.126	4.215
191	BADDO	24.696	6.478	31.174
192	KABRATOLA	80.040	3.441	83.482

193	LALPURBODLA	9.696	1.417	11.113
194	LAKHANPURKHURD	91.498	5.870	97.368
195	CHANTA	42.883	3.239	46.121
196	BAGHARRA	105.555	10.660	116.215
197	BISANPURA	10.664	4.555	15.219
198	BHALUCHUA	11.960	5.138	17.097
199	BODLA	26.425	3.036	29.462
200	BOLDA-KALA	12.664	3.036	15.700
201	BOLDAKHURD	6.308	1.356	7.664
202	MAHLI	133.316	6.255	139.571
203	JAITATOLA	2.024	1.470	3.494
204	BAIJALPUR	0.324	1.012	1.336
205	RAJANAVAGAON	4.267	1.559	5.826
206	SINGHARI	3.385	1.846	5.231
207	BORIYA	2.547	2.024	4.571
208	MOTIMPUR	19.085	2.429	21.514
209	KHAIRBANA	7.781	1.154	8.935
210	BHONDA	0.810	2.024	2.834
211	AMLITOLA	3.194	1.478	4.672
212	ANDHRIKCHHAR	0.405	1.619	2.024
213	PONDITOLA	18.045	2.834	20.879
214	KHADAUDAKHURD	4.656	1.215	5.870
215	HARMO	2.024	1.012	3.036
216	BARHATTI	3.231	1.417	4.648
217	KAMADABRI	1.012	0.607	1.619
218	MAHARAJPUR	1.304	1.012	2.316
219	SARAI	0.607	0.405	1.012
220	KHIRSALI	2.146	1.417	3.563
221	AMROUDI	4.340	1.417	5.757
222	LATA	0.312	2.227	2.538
223	KANDAPARA	0.696	1.741	2.437
224	KASHIPANI	0.810	1.012	1.822
225	CHAURA	3.061	0.911	3.972
226	CHIKHALI	0.915	0.607	1.522
227	KATGO	1.571	0.955	2.526
228	GHOTHA	4.769	1.336	6.105
	Block Total	**4063.761**	**427.676**	**4491.437**
विकासखण्ड – स.लोहारा				
229	VIRENDRANAGAR	0.810	4.453	5.263
230	RANVEERPUR	14.830	2.227	17.057
231	CHILAMKHODRA	7.053	1.802	8.854

232	HATHLEWA	0.296	1.012	1.308
233	CHARBHATHA	0.405	1.822	2.227
234	CHANDENI	5.628	2.429	8.057
235	KHAIRJHITI	0.506	1.842	2.348
236	SAMRIA	0.235	1.336	1.571
237	NAWAGAON-GULALPUR	1.109	1.721	2.830
238	BUDHWARA	2.522	2.024	4.547
239	NAWAGAON-VIRENDRA NAGAR	1.259	1.012	2.271
240	KAUDIYA	0.834	0.607	1.441
	Block Total	**35.486**	**22.287**	**57.773**
	Grand Total	**8465.267**	**1470.178**	**9935.445**

OFFICE OF THE DIRECTOR, EMPLOYMENT AND TRAINING, CHHATTISGARH,
NAWA RAIPUR ATAL NAGAR

Nawa Raipur, Atal Nagar, the 7th January 2022

[See Rule-80]
CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

No. F 1-610/DET/Estt-T/2022/951A.—Certified That I have in the Afternoon of this day 07th January 2022 respectively made over and received charge of the office of Director, Employment and Training, Chhattisgarh, Nawa Raipur Atar Nagar after promotion as Special secretary in pursuance of Govt. of C.G., G.A.D., Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nawa Raipur Atal Nagar Order No. E 1-12/2021/F2, Nawa Raipur dated 07-01-2022.

Relieving Officer : AWANISH KUMAR SHARAN

Sd/-
Director.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd March 2022

No. 598/Confdl./2022/II-2-1/2022.—Shri Suresh Joon, I Additional District and Sessions Judge, Janjgir-Champa and senior-most Judicial Officer posted at District Headquarter, Janjgir-Champa is, hereby, appointed as Officiating District and Sessions Judge, Janjgir-Champa with effect from the date of taking over charge by him until the posting of regular District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of District and Sessions Judge, Janjgir-Champa, in addition to his own duties, until further orders.

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 10 फरवरी 2022

क्रमांक 33/दो-2-7/2019.—श्री आलोक कुमार, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-01-2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.